19

भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण: भाषा शिक्षण हेतु निहितार्थ

आप पहले भी इस तरह के कुछ लेख पढ़ चुके हैं। यह लेख हिन्दी भाषा के कुछ और नियमों की उदाहरणों सहित चर्चा करता है और भाषा शिक्षण के लिए भाषा के वैज्ञानिक विश्लेषण के निहितार्थों को बताता है। साथ ही, यह व्यवस्थित तरीके से इस बात की भी पड़ताल करता है कि भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया की समझ (जो एक अवचेतन प्रक्रिया है) भाषा सीखने में कैसे मदद करती है, जबकि सीखना एक बहुत ही चेतन प्रक्रिया है और इसमें औपचारिक निर्देश शामिल होते हैं। लेख कहता है कि भाषा शिक्षकों को भाषा के नियमों, यथा, शब्द कैसे बनते हैं, बहुवचन कैसे बनते हैं, निषेध वाक्यों में क्या समझना है आदि जिनके बारे में वे बच्चों से बात करना चाहते हैं - इसकी ऐसी समझ होनी चाहिए कि वे इन नियमों का बच्चों के समक्ष सरल सहज प्रस्तुतीकरण व व्याख्या कर सकें। विभिन्न उदाहरणों की मदद से लेख यह भी सुझाता है कि शिक्षक स्वयं भाषा का अवलोकन व विश्लेषण करते हुए विभिन्न भाषाई नियमों को समझ सकते हैं। भाषा पूरी तरह नियमबद्ध होती है, इसमें अपवाद नहीं होते - यह लेख भी इस बात को रेखांकित करता है।

परिचय

ज्ञान के तंत्र को अर्जित करना व भाषा अर्जित करना एक-दूसरे से एक महत्वपूर्ण मायने में सम्बन्धित हैं क्योंकि किसी भी प्रकार के ज्ञान तंत्र को अर्जित करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। समाज के भावी नागरिकों की समझ विकसित करने के प्रयास में लगे शिक्षाविदों के लिए भाषा के अवधारणात्मक ज्ञान से अवगत होना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। भाषा की क्षमता होना, भाषा को जानना, अर्जित करना व उसे उपयोग करना प्रजातिगत (Species specific) क्षमताएँ हैं। ये क्षमताएँ जैविक रूप से सिर्फ इन्सानों में ही विद्यमान हैं

(चॉमस्की, 1986)। हर बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हर सामान्य बच्चा भाषा अर्जित करने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार होता है (यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भाषा सीखने का यह तंत्र ऐसा विकसित होता है कि बच्चे को भाषा सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता।) एक छोटे से छोटा उद्दीपन इन्सानी दिमाग में भाषा विकसित करने के लिए पर्याप्त है। व्यापक रूप से स्वीकारे गए इसी विचार के तहत भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का विश्लेषण किया है।

संसार की लगभग सभी भाषाओं में बहुत सारी समानताएँ हैं, फिर भी वे सार्थक रूप से एक-दूसरे से भिन्न भी हैं। भाषा विज्ञान के सिद्धान्त साफ तौर पर यह बताते हैं कि जितने कम नियम होंगे व्याकरण उतना ही अच्छा होगा (चॉमस्की, 1965)। पाणिनि के बाद से ही व्याकरणाचार्यों ने इस विचार को समझा कि जितने कम नियम उतना ही सरल व्याकरण। भाषा की प्रकृति व संरचना को समझने के लिए हमें भाषा को सम्पूर्णता में देखना होगा। इसके साथ ही भाषा के सन्दर्भ में सतही तौर पर जो दिखता है उससे आगे जाकर देखने की ज़रूरत है और यह देखना किसी रैखिक या एक के बाद एक के क्रम में नहीं हो सकता (अग्निहोत्री, 2006)। इस लेख में एक बच्ची अपनी भाषा के बारे में क्या-क्या जानती है, मैं उसके कुछ उदाहरण दूँगा व उनका विश्लेषण करूँगा। ऐसा करते हुए मैं इस तरह के विश्लेषण के निहितार्थों को भाषा शिक्षण से जोड़ूँगा। बच्चे अपनी भाषा की संरचना व उसके उपयोग के बारे में क्या जानते हैं, इसकी समझ हमें लक्षित (कक्षा में पढ़ाई जाने वाली) भाषाएँ सिखाने में मदद करती हैं। इस लेख के तीन मुख्य हिस्से हैं जो ध्वनि, शब्द व वाक्य के स्तर पर भाषा की प्रकृति व संरचना से सम्बन्धित हैं।

बोलने की प्रक्रिया और ध्वनि

एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था को समझने के लिए हमें ध्वनियों के उत्पादन की प्रक्रिया व इसके विश्लेषण को देखना होगा। हम देखते हैं कि हिन्दी में स्वर ध्वनियों को उनकी लम्बाई (दीर्घ/ह्रस्व अथवा छोटी या बड़ी) व जिह्वा/जीभ पर स्थित उच्चारण स्थान (पीछे, मध्य व आगे) के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि सारणी-1 में दिखाया गया है -

सारणी-1 स्वर ध्वनियाँ

उच्चारण का तरीका	छोटी	बड़ी	छोटी	बड़ी	छोटी	बड़ी
	अ A	आ aa	इ i	ई ii	उ u	ऊ uu
उच्चारण स्थान	पीछे	पीछे	मध्य	मध्य	आगे	आगे

व्यंजन ध्वनियाँ

मुँह के अगले हिस्से (होंठ से लेकर कोमल तालू तक के ध्वनि क्षेत्र) में बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जो व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण स्थान के रूप में काम करते हैं। हिन्दी में व्यंजन ध्वनियाँ इस तरह व्यवस्थित हैं - कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य व ओष्ठ्य। इनके उच्चारण का तरीका इनकी विशेषताओं को प्रकट करता है। चलिए, इनकी व्यवस्था को देखते हैं- नीचे बने सारणी-2 में पहले चार कॉलम में स्थित व्यंजन, मौखिक ध्वनियाँ (मौखिक ध्वनियों से तात्पर्य है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा का प्रवाह मुँह से होता है) हैं और अन्तिम कॉलम में स्थित व्यंजन ध्वनियाँ नासिक्य हैं। मौखिक ध्वनियों में पहले दो कॉलम में अघोष ध्वनियाँ हैं (वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय स्वरतंत्री में कम्पन नहीं होता) व अगले दो कॉलम में सघोष ध्वनियाँ हैं (वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय स्वरतंत्री में कम्पन होता है)। ये क्रमश: अल्पप्राण व महाप्राण कहलाती हैं। सारणी-2 देखें।

सारणी-2 व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के तरीके

		अल्पप्राण अघोष	महाप्राण अघोष	अल्पप्राण सघोष	महाप्राण सघोष	नासिक
स्थान	कण्ठ्य	क k	ख kh	ग g	घ gh	ङ ng
	तालव्य	च c	छ ch	ज j	झ jh	ञ ny

शब्द निर्माण

बहुवचन: वचन व लिंग

कुछ किताबें बताती हैं कि 'आ' से अन्त होने वाली संज्ञाएँ पुल्लिंग व 'ई' से अन्त होने वाली संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं और बाकी सब अपवाद हैं। हिन्दी में प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग क्योंकि वाक्य रचना में इसकी भूमिका होती है। हालाँकि हिन्दी में संज्ञा का लिंग निर्धारण मनमाना है। भाषा नियमों द्वारा संचालित व्यवस्था है, यह विचार काफी हद तक अपवादों के अस्तित्व को खारिज करता है। ऐसे में हिन्दी में संज्ञाओं का मनमाने तरीके से लिंग निर्धारण व बड़ी संख्या में अपवादों का होना जो ऊपर बताए पैटर्न का पालन नहीं करते हैं, इनके लिए स्पष्टीकरण चाहिए। बारीकी से किया गया विश्लेषण एक व्यवस्थित व नियम-संचालित पैटर्न बताता है। चलिए पैटर्न के लिए सारणी-3 में दिए गए आँकड़ों को देखते हैं -

सारणी-3

	एकवचन		बहुवचन	
पुल्लिंग	लड़का घर धोबी	laRkaa ghar dhobii	लड़के घर धोबी	laRke ghar dhobii
स्त्रीलिंग	लड़की कमीज़ माला	laRkii kamiiz maalaa	लड़कियाँ कमीज़ें मालाएँ	laRkiyaaN kamiizeN maalaayeN

मूल भाषा-भाषी व्यक्तियों के सहज ज्ञान से यह ज़ाहिर होता है कि कुछ संज्ञाएँ जो 'आ' स्वर ध्वनि से अन्त होती हैं पुल्लिंग होती हैं और अन्य जो 'ई' स्वर ध्वनि से अन्त होती हैं वे स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन इस तरह के उदाहरणों जैसे - धोबी (पुल्लिंग) व घर (पुल्लिंग) से यह सामान्यीकरण ध्वस्त हो जाता है। वस्तुत: हिन्दी में हमें दो प्रकार की पुल्लिंग संज्ञाएँ मिलती हैं; एक वे जो 'आ' जैसे लम्बी स्वर ध्वनि से अन्त होती हैं और अन्य वो जो 'आ' के अतिरिक्त अन्य ध्वनियों से अन्त होती हैं। स्वर ध्वनि 'आ' से अन्त होने वाली संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर 'आ', 'ए' में बदल जाता है। 'आ' के अतिरिक्त अन्य ध्वनियों से अन्त होने वाली संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर उनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता है। 'धोबी' (dhobii) और 'घर' (ghar) वे पुल्लिंग संज्ञाएँ हैं जिनका बहुवचन बनाने पर स्वरूप नहीं बदलता है।

इसी तरह से स्त्रीलिंग संज्ञाओं के भी दो प्रकार हैं: एक वे जो 'ई' से अन्त होती हैं और बाकी वे जो 'ई' के अतिरिक्त अन्य ध्वनियों से अन्त होती हैं। दोनों प्रकारों में बहुवचन रूप भिन्न होते हैं। 'ई' ध्वनि से अन्त होने वाली संज्ञाओं में बहुवचन बनाने पर 'ई', 'इयाँ' में परिवर्तित होती है।'माला' जैसी स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन रूप 'कमीज़' के बहुवचन रूपों की तरह ही बदलता है। दोनों ही स्त्रीलिंग संज्ञाएँ हैं और दोनों ही 'ई' स्वर ध्वनि के अतिरिक्त अन्य ध्वनि से अन्त होती हैं। इस व्याख्या में कोई अपवाद नहीं है। इस आधारभूत पैटर्न का ज्ञान हमें भाषा को एक नियम संचालित व्यवस्था के रूप में समझने में मदद करता है। और इस तरह का ज्ञान तंत्र भाषा शिक्षण में, विशेषकर हिन्दी के शिक्षण में उपयोगी हो जाता है।

नासिक तारतम्यता

सर्वाधिक नियमित ध्वनिक्रम है व्यंजन-स्वर-व्यंजन-स्वर। एक शब्द के निर्माण में स्वर व व्यंजन दोनों की ज़रूरत होती है। फिर भी शब्द निर्माण में स्वर अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी भाषाओं में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ केवल स्वर से बने शब्द मिलते हैं। किसी भी भाषा में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो केवल व्यंजन ध्वनियों से बना हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं

जिनकी शुरुआत में, बीच में या अन्त में व्यंजनों के समुच्च्य होते हैं। सभी व्यंजनों में 'अ' स्वर अन्तर्निहित होता है। व्यंजनों के समुच्च्य में, पहला व्यंजन अपने अन्तर्निहित स्वर का गुण खो देता है। सारणी-4 में नासिक ध्वनियों के समुच्च्य के उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पहले व्यंजन का नासिकीकरण हुआ है।

सारणी-4

पंखा	paNkhaa	(प + ङ् + खा = पंखा/पङ्खा)
पंजा	paNjaa	(प + ञ् + जा = पंजा/पञ्जा)
अंडा	aNDaa	(अ + ण् + डा = अंडा/अण्डा)
अंधा	aNdhaa	(अ + न् + धा = अंधा/अन्धा)
खंभा	khaMbhaa	(ख + म् + भा = खंभा/खम्भा)

ऊपर दिए गए प्रत्येक उदाहरण में, एक नासिक्य व्यंजन है जो आगे आने वाले व्यंजन के साथ मिलकर एक समुच्च्य बना रहा है। 'पंखा' में नासिक्य व्यंजन के बाद 'ख' व्यंजन है जो कि कण्ठ्य ध्वनि है। *'पंजा'* में नासिक्य व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन तालव्य ध्वनि है; 'अण्डा' में नासिक्य व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन मूर्धन्य ध्वनि है, 'अन्धा' में नासिक्य व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन दन्त्य ध्वनि है और 'खम्भा' में नासिक्य व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन ओष्ठ्य ध्वनि है। गौर से देखने पर ये समुच्च्य बहुत कुछ स्पष्ट करते हैं। इन समुच्च्यों को यदि हम इनके उच्चारण स्थान के आलोक में विश्लेषित करें तो व्यंजनों की नासिक्य विशेषता का अनुमान लगाया जा सकता है। वह यह है कि नासिक्य व मौखिक ध्वनियों (व्यंजन ध्वनियों को Oral Sound भी कहते हैं) के उच्चारण का स्थान एक ही है, 'पंखा' में कण्ठ्य नासिक्य, 'पंजा' में तालव्य नासिक्य, 'अण्डा' में मूर्धन्य नासिक्य, 'अन्धा' में दन्त्य नासिक्य, 'खम्भा' में ओष्ठ्य नासिक्य। यह परिघटना ही नासिक तारतम्यता है। सभी भाषाओं में होने वाली यह घटना भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को समझने में मदद करती है और कक्षा में इस तरह के मुद्दों के बारे में बात करने में शिक्षक को सक्षम बनाती है।

वाक्य विन्यास

साधारण वाक्य के मुख्यत: दो हिस्से होते हैं - कर्ता व विधेय। विधेय में क्रिया व कर्म (वैकल्पिक) शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, 'रेवा ने किताब पढ़ी'। इस वाक्य में 'रेवा ने' कर्ता पद है और 'किताब पढ़ी' विधेय पद है। विधेय पद में 'किताब' कर्म है और 'पढ़ी' क्रिया है। भाषा के सार्वभौमिक सिद्धान्त बताते हैं कि कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य सम्भव नहीं है। साथ-साथ इन दोनों हिस्सों के फाई गुणों (Phi Features) के मध्य अनुबन्ध होना भी ज़रूरी है।

फाई गुणों में अनुबन्ध

अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग फाई गुण होते हैं। सामान्यत: इनमें वचन, पुरुष व लिंग सम्मिलित होते हैं। कुछ फाई गुणों के सन्दर्भ में भाषाओं में कर्ता का क्रिया के साथ अनुबन्ध होता है। यानी इनमें से कर्ता के संज्ञा वाक्यांश के कुछ गुण क्रिया वाक्यांश से मेल खाने चाहिए। भाषाओं में एक-दूसरे से विभिन्नता का कारण क्रिया में इन लक्षणों की भौतिक उपस्थिति होती है। निम्न उदाहरण देखें।

सारणी-5

हिन्दी: राजू (एकवचन पुल्लिंग) मूवी (एकवचन स्त्रीलिंग) देख (एकवचन पुल्लिंग) रहा (एकवचन पुल्लिंग) था (एकवचन पुल्लिंग)
अंग्रेज़ी: Raju (एकवचन पुल्लिंग) was (एकवचन पुल्लिंग) watching a movie (एकवचन स्त्रीलिंग)

हिन्दी वाक्य में, वचन व लिंग दोनों का क्रिया में प्रदर्शित होना ज़रूरी है, जबकि अँग्रेज़ी वाक्य में क्रिया में केवल वचन प्रदर्शित होता है। (सारणी-5 देखिए)। यहाँ कर्ता 'राजू' के गुण जो एकवचन व पुल्लिंग हैं, क्रिया 'देख रहा है' में प्रदर्शित हो रहे हैं और उसी मूल्य के साथ। यह कर्ता व क्रिया के बीच अनुबन्ध का एक उदाहरण है।

शब्द-क्रम (कर्ता कर्म क्रिया – Subject Object Verb)

जहाँ तक वाक्य में शब्दों के क्रम का सवाल है, कर्ता विधेय से पहले आता है। हालाँकि, विधेय में कर्म का स्थान अलग-अलग भाषाओं में भिन्न होता है। हिन्दी में विधेय के अन्तर्गत कर्म क्रिया से पहले आता है और अँग्रेज़ी में क्रिया के बाद।

6. सीमा (कर्ता) ने राजू को कपड़े (कर्म) दिए (क्रिया)

   उदाहरण 6 में कर्ता संज्ञा विधेय से पहले आई है।

विधेय के अन्तर्गत कर्म क्रिया से पहले आया है। इस उदाहरण से हमें यह भी पता चलता है कि हिन्दी में विधेय के अन्तर्गत परोक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म से पहले आता है। इस वाक्य में 'राजू' परोक्ष कर्म है और प्रत्यक्ष कर्म है 'कपड़े'। क्योंकि 'कपड़े' के बिना यह वाक्य पूरा नहीं हो सकता।

निषेध और निषेध ध्रुवीय तत्व

निषेध इन्सानी भाषा का एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण व दिलचस्प पहलू है। निषेध का विश्लेषण हमें भाषा के अनेक रोचक पहलुओं को समझने में मदद करता है।

निषेध संकेतक

हिन्दी में निषेध के तीन संकेतक हैं; 'नहीं', 'ना' और 'मत' । 'नहीं' और 'ना' लगभग सभी सन्दर्भों में इस्तेमाल होते हैं, जैसा की उदाहरण (7) में दिखाया गया है, वहीं, 'मत' केवल आदेशात्मक वाक्यों में ही आता है, जैसा कि उदाहरण (8) में दिखाया गया है। भाषा में दो प्रकार के निषेध होते हैं; वाक्यात्मक निषेध व घटकीय निषेध। वाक्यात्मक निषेध सामान्यत: क्रिया से पहले आता है और पूरे वाक्य का निषेध कर देता है, जैसा कि उदाहरण (7) में दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ घटकीय निषेध केवल उस घटक का निषेध करता है, जिसके बाद निषेध आता है, जैसा कि उदाहरण (9) में बताया गया है।

7. राजू आज नहीं/ना/*मत आएगा।

8. तुम मत जाओ।

9. हम मोटरसाइकल से नहीं जाएँगे।

निषेध ध्रुवीय तत्वों को लाइसेंस देना

भाषाओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे - 'एक फूटी कौड़ी', 'हरगिज़/कतई' और 'कोई/किस', जो वाक्य में निषेध संकेतक की उपस्थिति में ही आने के लिए अनुबन्धित/बाध्य होते हैं। वाक्य में निषेध संकेतक की अनुपस्थिति में इस तरह के तत्वों की उपस्थिति अव्याकरणिक होती है, जैसा कि उदाहरण (10 क-ख) में दिखाया गया है। इन्हें निषेध ध्रुवीय तत्व कहते हैं।

10क - गरीबों को एक फूटी कौड़ी* (नहीं) मिलेगी।

10ख - राजू हरगिज़/कतई* (नहीं) आएगा।

कुछ निषेध ध्रुवीय तत्वों को निषेध संकेतकों की अनुपस्थिति में आने का लाइसेंस होता है। जैसा कि उदाहरण (11क) व (12क) में दिखाया गया है।

11क - राजू ने किसी को मारा?

11ख - *राजू हरगिज़/कतई आएगा?

12क - राजू किसी को मार सकता है

12ख - *राजू हरगिज़/कतई सीमा को मार सकता है

उदाहरण (11क) व (12क) की व्याकरणिकता यह दिखाती है कि प्रश्नों व रूपात्मक क्रियाओं (मॉडल) में नकारात्मक ध्रुवीय पदों को लाइसेंस देने की क्षमता होती है। हालाँकि यह ध्यान रहे कि प्रश्न व मॉडल केवल 'किसी' (any) जैसे नकारात्मक ध्रुवीय तत्वों को ही लाइसेंस दे सकते हैं, 'हरगिज़'/'कतई' जैसे तत्वों को नहीं, जैसा कि उदाहरण (11ख)

---

* अव्याकरणिक/अमान्य

व (12ख) की अव्याकरणिकता दिखाती है। ये उदाहरण बताते हैं कि भाषा में दो तरह के नकारात्मक ध्रुवीय तत्व होते हैं। पहले प्रकार के नकारात्मक तत्व वे हैं जिन्हें वाक्य में आने के लिए निषेध संकेतक चाहिए, दूसरे निषेध ध्रुवीय वे हैं जिन्हें निषेध संकेतक की उपस्थिति के बिना भी प्रश्न व मॉडल लाइसेंस देते हैं (कुमार 2006)।

शिक्षा के लिए निहितार्थ

इस पूरी चर्चा का शिक्षक के लिए क्या अर्थ है? सबसे पहले, यह बताता है कि यथोचित व्याख्या व विश्लेषण होने पर नियम कम होंगे। सरल प्रस्तुतीकरण व यथोचित व्याख्या से सीखना ज़्यादा प्रभावी होता है। और भाषा अर्जन की एक स्तर तक की समझ के बिना भाषा शिक्षण में कठिनाई हो सकती है तथा सीखने वालों के लिए सीखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, भाषा का शिक्षण रैखिक तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे एक दीवार बनाई जाती है, एक ईंट के बाद एक ईंट रखते हुए। समकालीन भाषाई शोध के निष्कर्षों के आलोक में हमारा ध्यान इस तथ्य पर होना चाहिए कि भाषा का विकास एक समुचित वातावरण में होता है। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप इतना प्रभावी रूप से काम नहीं करता है जितना कि परोक्ष हस्तक्षेप (क्रैशन, 1985, 2003)। मैंने जो विश्लेषण इस लेख में प्रस्तुत किए हैं, इससे हम भाषा अर्जन को बेहतर रूप से समझ सकते हैं।

स्रोत

- राजेश कुमार, *लैंग्वेज एण्ड लैंग्वेज टीचिंग*, 2.2.4, 22-26, जुलाई, 2013।

सन्दर्भ

- रमाकान्त अग्निहोत्री, 2006, *हिन्दी: एन एसेंशियल ग्रामर*, लंदन: रुटलेज।
- नोम चॉमस्की, 1965, *आस्पेक्टस ऑफ द थ्योरी सिंटेक्स*, केम्ब्रिज, एमए: एमआईटी प्रेस।
- नोम चॉमस्की, 1986, *नॉलेज ऑफ लैंग्वेज: इट्स नेचर, ओरिजिन एंड यूज़*, न्यू यॉर्क: प्रेगर।
- एस क्रैशन, 1985, *द इनपुट हायपोथिसिस: इशूज़ एंड इम्प्लीकेशंस*, यूके: ओरिएंट लॉन्गमैन।
- एस क्रैशन, 2003, *एक्सप्लोरेशंस इन लैंग्वेज एक्विज़िशन एंड यूज़*, पोर्टस्माउथ: हाइनमैन।
- आर कुमार, 2006, *सिंटेक्स ऑफ नेगेशन एंड लाइसेन्सिंग ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी आइटम्स इन हिन्दी*, न्यू यॉर्क: रूटलेज।